संख्या–1944/नौ–7–19–76(जन)19

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. स्टेट मिशन डायरेक्टर, अमृत (AMRUT) उ0प्र0।
5. स्टेट मिशन डायरेक्टर, स्वच्छ भारत मिशन, उ0प्र0।
6. स्टेट मिशन डायरेक्टर, स्मार्ट सिटीज् उ0प्र0।
7. निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
8. निदेशक, सूडा।
9. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
10. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–7 लखनऊ : दिनांक 05 ~~अक्टूबर,~~ नवम्बर 2019

विषयः विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि का उपयोग/व्यय/भुगतान Public Financial Management System (PFMS) के माध्यम से कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि प्रदेश के शहरी निकायों को विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि उदाहरणतः केन्द्रीय वित्त आयोग व राज्य वित्त आयोग के माध्यम से दी जाने वाली धनराशि, राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनायें जैसे अन्त्येष्टि स्थल विकास योजना, कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना तथा पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना आदि व भारत सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगसिप योजनायें जैसे अमृत (AMRUT), स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटीज् मिशन तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग (सूडा) के माध्यम से डूडा को जो भी धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) तथा मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना आदि, उसका उपयोग/व्यय/भुगतान Public Financial Management System (PFMS) के माध्यम से किया जाना है।

2. उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), नमामि गंगे एवं अमृत मिशन के अन्तर्गत पूर्व से ही Public Financial Management System (PFMS) के माध्यम से धनराशि का उपयोग व भुगतान/व्यय किया जा रहा है।

3. इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शेष समस्त योजनाओं में उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि का उपयोग /व्यय / भुगतान Public Financial Management System (PFMS) के माध्यम से करने की व्यवस्था एक माह में सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

01 दिसम्बर 2019 के उपरान्त विभाग की योजनाओं में उपलब्ध करायी जाने वाले धनराशि से कोई भी व्यय PFMS के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से नहीं किया जाएगा। इस आदेश का अनुपालन कठोरता से सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी का होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कठिनाई की दशा में संबंधित मिशन के स्टेट डायरेक्टर, विभागाध्यक्ष व सहायक निदेशक, लेखा, स्थानीय निकाय, निदेशालय,उ0प्र0 से सम्पर्क किया जा सकता है।

भवदीय,

Manoj 5.11.19

(मनोज कुमार सिंह)

प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त महापौर, नगर निगम, उ0प्र0।
2. समस्त अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह यादव)

विशेष सचिव।